02 / 09 / 2020

आदेशः–

उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन उभय पक्ष की संयुक्त संपति है। जो बंटवारा को लेकर विवाद प्रतीत होता है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष को निदेश दिया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाये रखते हुए न्याय हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

02/09

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू, राँची।

02/09

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू, राँची।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 12:23:19 +05:30
Location: 10.93.79.10